



2026:AHC:52-DB

सुरक्षित तिथि: 06.11.2025

सुनाया गया: 05.01.2026

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
विशेष अपील संख्या - 213/2025

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

... अपीलार्थी(गण)

बनाम

रमेश कुमार सिंह एवं 13 अन्य

... प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:तेज भानु पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:राजेश कुमार सिंह

और अन्य सम्बद्ध वाद

माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार द्वारा प्रदत्त)

1. श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, जिनके साथ श्री तेज भानु पांडेय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से तथा श्री राजेश कुमार सिंह एवं श्री विवेक कुमार सिंह प्रत्यर्थियों की ओर से सुना गया।

2. एसपीएलए संख्या 213/2025, एसपीएलए संख्या 214/2014, एसपीएलएडी संख्या 4/2025, एसपीएलएडी संख्या 7/2025 एवं एसपीएलए डी संख्या 9/2024, क्रमशः रिट-ए संख्या 1659/2020, रिट-ए संख्या 15455/2019, रिट-ए संख्या 10873/2021, रिट-ए संख्या 10962/2021 एवं रिट-ए संख्या 3215/2021 से उद्भूत हैं।

संक्षिप्त तथ्य

3. रिट-ए संख्या 1659/2020, रिट-ए संख्या 10962/2021 एवं रिट-ए संख्या 3215/2021, महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया के सहायक अध्यापकों द्वारा, प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1, राज्य सरकार के दिनांक 10.05.2019 के उस आदेश को अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खारिज किए जाने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसमें उनकी संस्था को आवर्ती अनुदान प्रदान करने के दावे को अस्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी-अपीलार्थीगण को उनकी संस्था को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित करने तथा याचिकाकर्ताओं को राज्य के राजकोष से वेतन भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त संस्था को जिला परिषद, बलिया के दिनांक 31.01.1970 के आदेश द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। उक्त तीन रिट याचिकाओं के याचिकाकर्तागण का दावा है कि उनकी नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा 01.07.2000 से 08.07.2017 के मध्य संस्था में की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 15.02.2018 के अभ्यावेदन के माध्यम से पहली बार अपना दावा प्रस्तुत किया।

4. रिट-ए संख्या 15455/2019, श्री शिवमंगल चौधरी प्राथमिक विद्यालय, बंधवा कल्याण, मंझनपुर, जिला कौशांबी की प्रबंध समिति द्वारा, प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1 के दिनांक 22.02.2019 के उस आदेश को खारिज किए जाने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी संस्था को आवर्ती अनुदान प्रदान करने के दावे को अस्वीकार किया गया था। उक्त संस्था को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के दिनांक 17.07.1987 के आदेश द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता संस्था ने प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 13.10.2018 का अभ्यावेदन दायर करके अपना दावा प्रस्तुत किया था।

5. रिट-ए संख्या 10873/2021, संत रविदास प्राथमिक विद्यालय, मलाप संख्या 1, योगिवीर, घोघाना, जिला बलिया के 9 सहायक अध्यापकों एवं 1 चपरासी द्वारा, प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1, राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज किए जाने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण की संस्था को आवर्ती अनुदान प्रदान करने के दावे को अस्वीकार किया गया था। उक्त संस्था को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया के दिनांक 23.02.1996 के आदेश द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। समस्त याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा उक्त संस्था में 01.07.2005 से 01.07.2015 के मध्य की गई थी। उन्होंने दिनांक 07.05.2018 के अभ्यावेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी-अपीलार्थी संख्या 1 के समक्ष पहली बार अपना दावा प्रस्तुत किया था।

6. उपरोक्त समस्त रिट याचिकाओं में, रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का आधार यह था कि वे निजी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं चपरासी के रूप में कार्यरत हैं, जो कक्षा I से V तक बेसिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा जिनमें 50% से अधिक छात्र अनुसूचित जाति एवं अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, अतः उनकी संस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से आवर्ती अनुदान की अधिकारी हैं। यह भी प्रतिवादित किया गया कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21-क अंतःस्थापित किया गया है, जो राज्य पर छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व अधिरोपित करता है। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी एवं अन्य, (2014) 9 एससीसी 692** के निर्णय में प्रतिपादित विधि एवं इस न्यायालय के **परिपूर्णनंद त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 994/2014** के निर्णय के आलोक में, वे अपनी संस्थाओं को राज्य सरकार की अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित कराकर राज्य के राजकोष से वेतन प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं।

7. उपरोक्त समस्त रिट याचिकाओं को समेकित कर विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.12.2022 के एक सामान्य निर्णय एवं आदेश द्वारा निस्तारित किया गया, जिसमें उनमें चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश/आदेशों को खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी-अपीलार्थीगण को यह भी निर्देश दिया गया कि वे उचित आदेश पारित कर याचिकाकर्ता संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय अनुमोदन प्रदान करें तथा अनुदान जारी करें।

8. समस्त संबद्ध विशेष अपीलें, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.12.2022 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जो रिट-ए संख्या 1659/2022 (रमेश कुमार सिंह एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य) तथा संबद्ध रिट याचिकाओं, रिट-ए संख्या 15455/2019, रिट-ए संख्या 10873/2021, रिट-ए संख्या 10962/2021 एवं रिट-ए संख्या 3215/2021 में पारित हुआ था।

उपरोक्त विशेष अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क

9. सहायता-विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं द्वारा संस्था के लिए अनुदान-सहायता का दावा करते हुए दायर की गई रिट याचिकाएं उनकी ओर से अनुरक्षणीय नहीं थीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2006 के शासनादेश जारी करके समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन-स्वरूप निजी प्रबंधन द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्ती अनुदान प्रदान करने की पूर्ववर्ती नीति को वापस लेने के नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण का दावा असंधार्य था।

11. इस माननीय न्यायालय के रिट-ए संख्या 38992/2017, जय राम सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दिनांक 23.05.2019 को निर्णीत, के निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.07.2020 को लिए गए निर्णय (विशेष अपील संख्या 213/2025 के पृष्ठ 167) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-क एवं बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उसके अधीन विरचित नियमों के प्रावधानों के अधीन सरकार का दायित्व पूर्ण हो गया है, अतः निजी प्रबंधित प्राथमिक विद्यालयों को कोई अनुदान देने का कोई औचित्य नहीं है।

12. इस माननीय न्यायालय के रिट-ए संख्या 14997/2019, प्रबंध समिति हरिजन प्राथमिक पाठशाला, माधोपुर, कसिया, कुशीनगर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दिनांक 21.10.2019 को निर्णीत, के निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2020 को लिए गए निर्णय (विशेष अपील संख्या 213/2025 के पृष्ठ 161) में, निजी प्रबंधित प्राथमिक विद्यालय को आवर्ती अनुदान दिए जाने के एक समान दावे को अपीलार्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, अतः वर्तमान याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण को कोई अनुदान दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

13. दिनांक 05.10.2006, 14.07.2020 एवं 17.12.2020 के शासनादेशों को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती न दिए जाने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश उनके द्वारा दावा किया गया कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं कर सकते थे।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी एवं अन्य, (2014) 9 एससीसी 692 के निर्णय में तथा इस न्यायालय के परिपूर्णानंद त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 994/2014 के निर्णय में प्रतिपादित विधि, सरकार से पहले से सहायता प्राप्त कर रहे जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संलग्न प्राथमिक अनुभागों/विद्यालयों की अनुदान-सहायता की अधिकारिता से संबंधित है, अतः वर्तमान वादों के तथ्यों पर इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।

15. विशेष अपील संख्या 213/2025 में दायर तृतीय अनुपूरक शपथपत्र में क्रमशः अनुलग्नक एसए-5, एसए-6, एसए-7 के रूप में दायर दिनांक 24.01.2024, 26.02.2024 एवं 05.10.2025 की निरीक्षण आख्याओं को आधार लेते हुए यह प्रतिवादित किया गया है कि महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया, अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु विचारार्थ निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करती है। उन्होंने इन आख्याओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जो दर्शाती हैं कि संस्था में अभिकथित रूप से नामांकित 352 छात्रों के विरुद्ध शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में केवल 40 से 65 छात्र कक्षाओं में उपस्थित पाए गए। शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 में पंजीकृत 466 छात्रों में से 370 छात्रों का आधार द्वारा प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। संस्था के भवन में शौचालय, स्टाफ रूम तथा पर्याप्त संख्या में फर्नीचर, पंखे एवं बतियों जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।

16. बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में आरटीई अधिनियम, 2009) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के दायित्व की पूर्ति में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में प्रत्येक एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया गया है। किसी भी बोर्ड से संबद्ध समस्त निजी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे निकटवर्ती क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को कक्षा I में उस कक्षा की क्षमता के कम से कम पच्चीस प्रतिशत में प्रवेश दें तथा उनकी पूर्णता तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। ऐसे छात्रों की संपूर्ण फीस राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्त की जाती है।

17. आरटीई अधिनियम, 2009 के आलोक में, याचिकाकर्ता अथवा कक्षा I से V तक शिक्षा प्रदान करने वाली कोई भी संस्था, जिसमें 50% से अधिक छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हों, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से अनुदान-सहायता का कोई मूल अधिकार अर्जित नहीं करती, जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने विशेष अपील संख्या 143/2008 में दिनांक 31.08.2010 को निर्णीत करते हुए, दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के अधीन अपीलार्थीगण के आवर्ती अनुदान के दावे को अस्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण की ओर से दी गई दलीलें

18. याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादित किया कि दिनांक 31.03.1994 का शासनादेश जारी होने के तत्काल पश्चात्, प्रबंध समिति महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया ने राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी, बलिया द्वारा दिनांक 09.05.1997 को उक्त संस्था को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा सहित राज्य सरकार को एक आख्या प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात्, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया ने दिनांक 18.08.1998 को निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई आख्या प्रस्तुत की, जिसमें संस्था में कार्यरत सहायक अध्यापकों की सूची संलग्न थी जिसमें एक प्रधानाध्यापक एवं 17 सहायक अध्यापक सम्मिलित थे। कोई कार्यवाही न होने पर, संस्था की प्रबंध समिति ने रिट-सी संख्या 45371/1999 दायर की, जिसे राज्य सरकार या उसके नामिती को दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निर्णय करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया।

19. जब संस्था को अनुदान-सहायता सूची में नहीं लिया गया तो प्रबंध समिति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका रिट-सी संख्या 48150/2004 दायर की गई, जिसे दिनांक 01.10.2004 के निर्णय एवं आदेश द्वारा, रिट-सी संख्या 16522/2003 (प्रबंध समिति, आदर्श शिशु सदन, बसहिया खुर्द, जिला महाराजगंज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया।

20. इस न्यायालय के दिनांक 01.10.2004 के आदेश के अनुपालन में, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 12.01.2005 को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उक्त प्रश्नगत संस्था सहित चार संस्थाओं को राज्य सरकार की अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा करते हुए एक पत्र जारी किया। याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादित किया कि संस्था की प्रबंध समिति ने दिनांक 05.10.2006 का शासनादेश जारी होने के बावजूद, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग ने समस्त प्राथमिक विद्यालयों को आवर्ती अनुदान वापस ले लिया था, संस्था को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित कराने के दावे का अनुसरण जारी रखा। निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 17.01.2014 को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र जारी कर उन संस्थाओं को अनुदान-सहायता की नीति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की, अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जो पिछले 10 वर्षों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

21. प्रबंध समिति के समस्त प्रयास निष्फल रहे क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था को अनुदान-सहायता सूची में लेने से इनकार कर दिया।

22. उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2016 के आदेश, जो रिट-सी संख्या 1351/2016 में पारित हुआ था, तथा दिनांक 01.05.2017 के आदेश, जो अवमान याचिका संख्या 1910/2017 में पारित हुआ था, के अनुपालन में, राज्य सरकार ने दिनांक 11.12.2017 के शासनादेश द्वारा समाज कल्याण प्राइमरी पाठशाला, समोहर, देवरिया को अनुदान-सहायता प्रदान की। तत्पश्चात याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों ने दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के दृष्टिगत अपनी संस्था को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित करने के विचारार्थ राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

23. राज्य सरकार ने इस न्यायालय के दिनांक 18.12.2018 के आदेश, जो रिट-ए संख्या 68262/2011 में पारित हुआ था, के अनुपालन में, दिनांक 16.10.2020 के शासनादेश द्वारा, दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश में अंतर्विष्ट शर्तों की पूर्ति पर आवर्ती अनुदान की अनुमति देते हुए, जनता प्रथमिक विद्यालय, बस्थान, जमीलपुर, आजमगढ़ के दावे को भी स्वीकार किया।

24. याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिन वादों में विशेष अपीलें खारिज हो चुकी थीं और अधिकारी इस न्यायालय के अवमान के दंड की आशंका में थे, उन्होंने दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश में अंतर्विष्ट शर्त के आधार पर संस्थाओं के आवर्ती अनुदान के दावे को स्वीकार कर लिया। तथापि, वर्तमान अपीलों में याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों के दावे को इस तुच्छ आधार पर विवादित किया जा रहा है कि राज्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 50% से अधिक छात्रों को कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को आवर्ती अनुदान दिए जाने की अपनी पूर्ववर्ती नीति को दिनांक 05.10.2006 के शासनादेश द्वारा वापस ले लिया है।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में, जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित है, राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया और दिनांक 03.01.2024 को एक शासनादेश जारी किया, जिसके द्वारा महामना मालवीय असुचित जाति प्राइमरी पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया को आवर्ती अनुदान का लाभ विस्तारित किया गया। उक्त शासनादेश को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवमान याचिका संख्या 4416/2023 में दायर अनुपालन शपथपत्र के उपाबद्ध के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रूप में, विशेष अपील संख्या 213/2025 में दिनांक 04.02.2025 को दायर शपथपत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है।

26. पवन कुमार द्विवेदी (पूर्वोक्त) और परिपूर्ण नंद त्रिपाठी (पूर्वोक्त) के वादों में दिए गए निर्णयों का निर्णयाधार याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों के वाद पर पूर्णतः लागू होता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रिट याचिकाएँ अनुज्ञात की गई थीं।

विशेष अपील संख्या 213/2025 में प्रत्यर्थी संख्या 14, प्रबंध समिति की ओर से दिया गया तर्क

27. श्री विवेक कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, जो प्रबंध समिति, महामना मालवीय असुचित जाति प्राइमरी पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया (विशेष अपील संख्या 213/2025 में प्रत्यर्थी संख्या 14) की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार किया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि संस्था की प्रबंध समिति दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के जारी होने से लेकर वर्ष 2014 तक, जब समाज कल्याण निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ने समान स्थिति वाली संस्थाओं को अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी थी, संस्था को राज्य सरकार की अनुदान-सहायता सूची में सम्मिलित कराने के लिए प्रयासरत रही। तथापि, वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण मुकदमेबाजी को आगे जारी नहीं रखा जा सका, क्योंकि संस्था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज के कमजोर तबके के छात्रों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान करती है।

28. वर्तमान अपीलों में विचारणीय बिंदु

(i) क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21-क तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, राज्य सरकार को यह बाध्य करते हैं कि वह कक्षा I से V या I से VIII तक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त निजी बेसिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करे?

(ii) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-क के दृष्टिगत, छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली सभी निजी संस्थाओं को राज्य सरकार से अनुदान-सहायता प्राप्त करने का कोई मूल अधिकार प्राप्त है?

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) क्या उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 के प्रवर्तन के पश्चात, उसमें अंतर्विष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्त किए गए मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक, सरकार की किसी भी नीति या योजना के अंतर्गत राजकोष से वेतन का दावा कर सकते हैं?

(iv) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी एवं अन्य, (2014) 9 एससीसी 692** के वाद में तथा इस न्यायालय द्वारा **परिपूर्ण नंद त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य, विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 994/2014** में अधिकथित विधि का निर्णयाधार, केवल कक्षा I से V तक शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के पक्ष में समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान-सहायता का कोई अधिकार सृजित करता है?

(v) क्या माननीय न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 1351/2017, प्रबंध समिति समाज कल्याण प्राइमरी पाठशाला, समोहर, देवरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दिनांक 03.10.2016 में पारित निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार का दिनांक 11.12.2017 का निर्णय, जिसके द्वारा उक्त याचिकाकर्ता संस्था को आवर्ती अनुदान की अनुमति दी गई, वर्तमान विशेष अपील के याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के पक्ष में अनुदान-सहायता का कोई अनुल्लंघनीय अधिकार सृजित करता है?

विचारणीय

बिंदु-(i) एवं (ii)

29. संविधान का 86वां संशोधन, 2002, जो दिनांक 12.12.2002 से प्रभावी हुआ, ने अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर राज्य द्वारा बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान था। संशोधन से पूर्व विद्यमान अनुच्छेद 45 को उसी संशोधन द्वारा भारत के संविधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 21-क में अंतःस्थापित किया गया। संविधान का 86वां संशोधन, 2002 द्वारा नवीन रूप से अंतःस्थापित अनुच्छेद 21-क तथा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 45 निम्नानुसार है:-

"अनुच्छेद 21-क- राज्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुच्छेद 45- राज्य सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

30. संसद ने अंततः अनुच्छेद 45 के शासनादेश की पूर्ति, संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित कर्तव्य को अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया। हमारी राय में, संविधान का 86वां संशोधन, देश के विकास के लिए संविधान के अधिनियमन के पश्चात किया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है। यह उद्देशिका में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करता है। बच्चों को प्रदत्त मूल अधिकार और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का तत्संबंधी दायित्व अब एक वास्तविक और प्राप्य अधिकार है। न्यायालयों पर अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने तथा राज्य के दायित्व को पूर्ण प्रयोजन एवं अर्थ प्रदान करने का अतिरिक्त संवैधानिक कर्तव्य है।

31. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 6 उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के लिए यह प्रावधान करती है कि वे निर्धारित ऐसे क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर, जहाँ विद्यालय स्थापित नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विद्यालय स्थापित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धारा 7 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु निधि उपलब्ध कराने की समवर्ती जिम्मेदारी वहन करनी होगी। प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का कर्तव्य अधिनियम की धारा 2 (क) में परिभाषित उपयुक्त सरकार पर आरोपित है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रित विद्यालयों के संबंध में केंद्र सरकार को और उपरोक्त उल्लिखित विद्यालयों से भिन्न विद्यालयों के संबंध में यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र को अभिप्रेत है।

32. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (च) में 'प्रारंभिक शिक्षा' को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, परंतु यह कि जहाँ किसी बच्चे को उसके माता-पिता या संरक्षक, यथास्थिति, द्वारा किसी ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधि से स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या सारवान रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न हो, ऐसे बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को ऐसे अन्य विद्यालय में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पर किए गए व्यय की अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 8 (ख) दुर्बल वर्ग के बच्चों और वंचित समूह के बच्चों के संबंध में पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। धारा 8 (ग) और धारा 9 (ग) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव न हो और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तथा पूर्ण करने से न रोका जाए। उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पर धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत यह भी कर्तव्य है कि वे अवसंरचना, जिसमें विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी तथा अधिगम उपकरण सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराएँ और ऐसे पड़ोस के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करें। अधिनियम माता-पिता और संरक्षकों पर भी धारा 10 के अंतर्गत तत्संबंधी दायित्व आरोपित करता है कि वे अपने बच्चे या वार्ड को, यथास्थिति, पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाएँ या दिलवाएँ।

33. अधिनियम का अध्याय IV विद्यालयों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। धारा 2 (ण) के अंतर्गत विद्यालय का अर्थ है: (i) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित विद्यालय; (ii) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने समस्त या आंशिक व्यय की पूर्ति हेतु सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला सहायता प्राप्त विद्यालय; (iii) निर्दिष्ट श्रेणी का विद्यालय; और (iv) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने व्यय की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला विद्यालय। धारा 12 (2) के अंतर्गत सहायता और अनुदान प्राप्त न करने वाले विद्यालय को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित है। धारा 12 को नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"12. विद्यालय की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में जिम्मेदारी की सीमा-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक विद्यालय,-

(क) धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय, उसमें प्रवेश लिए गए सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा;

(ख) धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालय, उसमें प्रवेश लिए गए बच्चों के उस अनुपात को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा, जितना कि उसे प्राप्त होने वाली वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से अनुपात हो, जो न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधः ही होगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ग) धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय, कक्षा I में उस कक्षा की शक्ति के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक, पड़ोस के दुर्बल वर्ग एवं वंचित समूह से संबंधित बच्चों को प्रवेश देगा और उनकी पूर्णता तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा;

परंतु यह और भी कि जहाँ धारा 2 के खंड (ण) में विनिर्दिष्ट विद्यालय पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, वहाँ ऐसी पूर्व-विद्यालय शिक्षा में प्रवेश के लिए खंड (क) से (ग) के प्रावधान लागू होंगे।

(2) धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय, जो उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, को उसके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य द्वारा किए गए प्रति-बालक-व्यय की सीमा तक, अथवा बच्चे से वास्तव में ली गई राशि, जो भी कम हो, उस रीति से की जाएगी जैसा निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय द्वारा किए गए प्रति-बालक-व्यय से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि जहाँ ऐसा विद्यालय पहले से ही किसी निर्दिष्ट संख्या के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के दायित्व के अधीन है, क्योंकि उसे कोई भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त हुई हैं, तो ऐसा विद्यालय ऐसे दायित्व की सीमा तक प्रतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।"

34. वर्तमान वाद में विद्यालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को आवर्ती अनुदान दिए जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। शिक्षकों के वेतन एवं अन्य व्ययों की पूर्ति प्रबंधन द्वारा अपनी निधि से की जानी अपेक्षित थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व, जो अब मूल अधिकार के रूप में अधिनियमित है, ऐसे विद्यालयों के माध्यम से शिक्षकों के वेतन एवं अन्य आनुषंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु आवर्ती अनुदान देकर प्रवर्तित नहीं किया जाना है।

35. हम समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अथवा अनुच्छेद 21-क के अधीन अधिकारों की पूर्ति हेतु अधिनियमित अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2010 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय को आवर्ती अनुदान-सहायता के दावे का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार अपने दायित्व के प्रति सजग है और 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत एक किलोमीटर क्षेत्र में 300 की जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय तथा दो किलोमीटर क्षेत्र में 800 की जनसंख्या पर एक जूनियर हाई स्कूल उपलब्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कराने का प्रयास कर रही है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले हो कि जिस क्षेत्र में याचिकाकर्ताओं के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वहाँ पड़ोस में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए धारा 2 (ण) (i), (ii) और (iii) में परिभाषित कोई विद्यालय नहीं है।

36. अधिनियम, 2009 की धारा 12 (2), उन विद्यालयों को, जो गैर-सहायता प्राप्त हैं और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु मान्यता प्राप्त भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाओं सहित किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, को राज्य द्वारा किए गए प्रति-बालक-व्यय की सीमा तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान करती है। प्रतिपूर्ति उस रीति से की जानी है जैसा निर्धारित किया जाए। राज्य, यदि उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पड़ोस में विद्यालय के रूप में कोई स्थापित विद्यालय है, तो ऐसे विद्यालयों के माध्यम से उस क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। केवल तभी जब पड़ोस में कोई विद्यालय न हो, राज्य सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार, ऐसी सेवाओं के लिए राज्य द्वारा अपेक्षित विद्यालय को प्रति-बालक प्रतिपूर्ति प्रदान कर सकती है।

37. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने विशेष अपील संख्या 143/2008, जो दिनांक 31.08.2010 को विनिश्चित हुई, में दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के अंतर्गत अपीलार्थियों के आवर्ती अनुदान के दावे को अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

'6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार तथा विधि द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का तत्संबंधी कर्तव्य, जो अब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 26.08.2009 से प्रदत्त है, विद्यमान गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समितियों को उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने व्यय की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की सहायता या आवर्ती अनुदान प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।'

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से अनुदान-सहायता के लिए निजी संस्था के अधिकार पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रधानाचार्य अभय नंदन इंटर कॉलेज एवं अन्य, (2021) 15 एससीसी 600, में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

'29. हम पहले सहायता के संबंध में संस्थाओं के अधिकार पर विचार करेंगे। सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के रूप में होता है। ऐसा करते समय सरकार न केवल संस्थाओं के हित को, अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बल्कि ऐसा करने की अपनी क्षमता को भी ध्यान में रखती है। ऐसे कारक हैं जिन पर सरकार से ऐसा निर्णय लेने से पूर्व विचार अपेक्षित है। वित्तीय बाधाएँ एवं कमियाँ वे कारक हैं जिन्हें सहायता के संबंध में किसी भी निर्णय में, सहायता देने के निर्णय एवं सहायता के संवितरण की रीति दोनों में, सुसंगत माना जाता है।

30. एक बार जब हम यह अभिनिर्धारित कर देते हैं कि सहायता प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो इसे कार्यान्वित करने में लिए गए निर्णय को चुनौती केवल सीमित आधारों पर दी जा सकेगी। अतः ऐसे वाद में भी जहाँ सहायता वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया जाता है, कोई संस्था इसे अधिकार के रूप में प्रश्नगत नहीं कर सकती है। हो सकता है कि ऐसी चुनौती तब भी किसी संस्था के सामने तब भी मौजूद हो, जब एक संस्था को अनुदान दिया जाता है और दूसरी समान स्थिति वाली संस्था को नहीं दिया जाता है। अतः अनुदान के साथ शर्तें भी आती हैं। यदि कोई संस्था ऐसे अनुदान के साथ आने वाली शर्तों को स्वीकार एवं उनका अनुपालन नहीं करना चाहती, तो वह अनुदान अस्वीकार करने और अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके विपरीत, किसी संस्था को यह कहने की कदापि अनुमति नहीं दी जा सकती कि अनुदान उसकी अपनी शर्तों पर दिया जाए।

31. हम ऐसे वाद में विचार कर रहे हैं जहाँ सहायता पूर्णतः अस्वीकार नहीं की गई है बल्कि उसे भिन्न रूप में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे निर्णय का कारण दक्षता एवं मितव्ययिता दोनों हैं। जब ऐसा निर्णय नीति के रूप में लिया जाता है और वह न केवल शैक्षणिक संस्थाओं पर बल्कि प्रत्येक विभाग में संपूर्ण राज्य पर लागू किया जा रहा है, तो उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, और वह भी तब जब इसमें कोई स्पष्ट मनमानापन दृष्टिगत न हो।'

39. राज्य सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति में अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत की है जिससे यह पता चले होता है कि उसने प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक तीन किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में परिकल्पित रूप में निजी संस्थाओं में अध्ययनरत दुर्बल वर्ग के छात्रों को संपूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान कर रहा है और जिसमें 50% से अधिक छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं, के पक्ष में राज्य सरकार से आवर्ती अनुदान-सहायता प्राप्त करने का कोई अनुल्लंघनीय अधिकार उद्भूत नहीं होता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बिंदु-(iii)

40. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के दिनांक 19.08.1972 को प्रख्यापित होने से पूर्व, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिला परिषद और नगर पालिका बोर्डों पर थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियाँ और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 32 और 33 के अंतर्गत क्षेत्र समितियाँ और जिला परिषद अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखती थीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के पश्चात, कक्षा I से V तक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी प्राथमिक विद्यालय/जूनियर बेसिक स्कूल, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।

41. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूनियर बेसिक स्कूलों/प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 बनाई गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में किसी व्यक्ति को शिक्षक या अन्य कर्मचारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अर्हताएँ न रखता हो और बेसिक शिक्षा अधिकारी का लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो। रिक्ति को कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिनमें से एक दैनिक समाचार पत्र हो, विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके भरा जाना होगा।

42. भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-क के अंतःस्थापन के पश्चात, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता है, संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में, आरटीई अधिनियम, 2009) अधिनियमित किया, जिसे दिनांक 26.08.2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, और जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के लिए मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है।

43. आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों में यह परिकल्पित है कि प्रत्येक छात्र को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखने वाले, विधि के अनुसार नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। विचाराधीनवादों में याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों का दावा है कि उनकी नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 2000 से 2017 के मध्य की गई थी। तथापि, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले हो कि उनकी नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुरूप थीं। ऐसी कोई सामग्री भी नहीं है जिससे यह पता चले हो कि याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी न्यूनतम पात्रता रखते हैं और उन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनिवार्य शर्त है। अभिलेख पर उपरोक्त सामग्री के अभाव में, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों के पक्ष में वेतन भुगतान हेतु कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दिया जा सकता, भले ही दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के जारी होने के समय विद्यमान संस्थाएँ आवर्ती अनुदान की पात्र पाई जाएँ।

बिंदु- (iv)

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पवन कुमार द्विवेदी (पूर्वोक्त) के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि एक जूनियर हाई स्कूल, जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा प्रदान करता है और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है, यदि कक्षा 1 से 5 तक का प्राथमिक अनुभाग खोलता है, तो वह उक्त जूनियर हाई स्कूल का अभिन्न अंग बन जाता है। प्राथमिक अनुभाग के अध्यापक, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1978 के अधीन जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के रूप में वेतन के अधिकारी हैं। पवन कुमार द्विवेदी (पूर्वोक्त) के उक्त निर्णय के सुसंगत प्रस्तर नीचे पुनः उद्धृत किए जा रहे हैं:-

'43. यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तीन प्रकार के हो सकते हैं: (एक) कक्षा I से VIII तक वाले, अर्थात् कक्षा I से V (जूनियर बेसिक स्कूल) एवं कक्षा VI से VIII (सीनियर बेसिक स्कूल) दोनों सहित, (दो) उपरोक्त प्रकार का विद्यालय जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्तर तक उन्नत किया गया हो, और (तीन) केवल कक्षा VI से VIII (सीनियर बेसिक स्कूल) वाले जिनमें प्रारंभ में जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) का कोई भाग न हो।

44. जूनियर हाई स्कूलों की प्रथम दो श्रेणियों के संबंध में, 1978 के अधिनियम की धारा 10 की प्रयोज्यता में कोई कठिनाई नहीं है। इस समूह की अपीलों में जो विवाद केंद्रित रहा है, वह तृतीय श्रेणी के उन विद्यालयों के संबंध में है जहाँ कक्षा VI से VIII की शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त एवं सहायता-प्राप्त विद्यालयों में मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् कक्षा I से V जोड़ी जाती है। ऐसे विद्यालयों में कक्षा I से V के प्राथमिक अनुभाग के अध्यापक 1978 के अधिनियम की धारा 10 के लाभ के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिकारी हैं या नहीं, यह मूल प्रश्न है। जैसा कि उल्लेखित है, 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का संवैधानिक दायित्व अब निस्संदेह है। शैक्षिक संहिता (संशोधित संस्करण, 1958) के प्रस्तर 1 के खंड (xxvi) में जोड़ी गई टिप्पणी, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि बेसिक स्कूलों में कक्षा I से VIII तक के एकल विद्यालय सम्मिलित हैं। हमारे विचार में, यदि किसी मान्यता प्राप्त एवं सहायता-प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा VI से VIII) में आवश्यक मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) जोड़ा जाता है, तो निश्चय ही ऐसा जूनियर बेसिक स्कूल एक विद्यालय, अर्थात् कक्षा I से VIII तक के बेसिक स्कूल का अभिन्न अंग बन जाता है। 1978 के अधिनियम में 'जूनियर हाई स्कूल' पद का आशय बेसिक शिक्षा, अर्थात् कक्षा VIII तक की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों से है। हमें नहीं लगता कि राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क के अनुसार 'जूनियर हाई स्कूल' पद को संकीर्ण अर्थ देना उचित है। हमारे विचार में विधानमंडल द्वारा 1972 के अधिनियम में प्रयुक्त एवं परिभाषित 'बेसिक स्कूल' के स्थान पर 'जूनियर हाई स्कूल' पद का प्रयोग किया जाना महत्वहीन है। हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस तथ्य से अभिपुष्ट होता है कि 1978 के अधिनियम की धारा 2(जे) में 1972 के अधिनियम में परिभाषित पदों को सम्मिलित किया गया है।

45. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी. राव का प्रश्नगत विद्यालय, अर्थात् रियाज जूनियर हाई स्कूल (कक्षा VI से VIII) के संदर्भ में यह तर्क कि उक्त विद्यालय प्रारंभ में एक निजी मान्यता प्राप्त एवं सहायता-प्राप्त विद्यालय था और प्रबंधन ने बाद में पृथक मान्यता प्राप्त कर प्राथमिक अनुभाग (कक्षा I से V) खोला, जो सहायता-विहीन था, और इसलिए 1975 के नियमों के नियम 2(बी) एवं नियम 4 की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्राथमिक अनुभाग के अध्यापक 1978 के अधिनियम की धारा 10 के लाभ के अधिकारी नहीं हैं, यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम उपर्युक्त बातें पहले ही कह चुके हैं। विनोद शर्मा के प्रथम चक्र में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि संस्था में कक्षा I से VIII तक पढ़ाई जाती है, जो एक इकाई है, अध्यापक एक ही प्रबंधन एवं एक ही प्रधानाध्यापक के अधीन कार्य करते हैं और इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों को 1978 के अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, गलत नहीं कहा जा सकता। बल्कि यह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित संवैधानिक योजना के अनुरूप एवं अनुकूल है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



45. इसी प्रकार, परिपूर्णानंद त्रिपाठी (पूर्वोक्त) के वाद में इस न्यायालय की खंडपीठ किसी इंटरमीडिएट कॉलेज से संलग्न कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाले प्राथमिक अनुभाग के दावे पर विचार कर रही थी, जहाँ न्यायालय ने प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापकों के वेतन के लिए अपीलार्थीगण के दावे को स्वीकार किया। इस न्यायालय की खंडपीठ का अवलोकन इस प्रकार है:-

'विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवलोकित किया है कि छात्रों की संख्या स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है और केवल दो अध्यापक प्रशिक्षित हैं। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान रिट याचिका के प्रस्तर 21, 22, 23 एवं 24 की ओर आकृष्ट किया है, जिनमें यह प्रकथन है कि संस्था में प्राथमिक शाखा में 25 अनुमोदित अनुभाग हैं जिनके विरुद्ध 26 अध्यापक कार्यरत हैं और उनमें से 24 अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विधिवत् अनुमोदित हैं। रिट याचिका के प्रस्तर 23 में यह प्रकथन है कि प्राथमिक अनुभाग में 924 छात्र हैं, जो राज्य सरकार के समक्ष दायर अभिलेख से स्थापित होता है। यह भी कहा गया है कि संस्था में प्राथमिक अनुभाग के लिए 16 कक्षाएँ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष के संबंध में कि केवल दो प्रशिक्षित अध्यापक हैं, यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति के समय प्राथमिक अनुभाग में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता केवल इंटरमीडिएट थी। प्रथम अपीलार्थी ने एल.टी. प्रशिक्षण प्राप्त किया है और द्वितीय अपीलार्थी के पास बी.एड. की उपाधि है, तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रबंध समिति ने प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की थी। राज्य ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई अप्रशिक्षित अध्यापक लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक कार्य करता रहे, तो ऐसे अध्यापक को प्रशिक्षण से छूट प्रदान की जाएगी और तदनुसार, संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की एक बड़ी संख्या को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई। इस प्रकार, अपीलार्थीगण जो अप्रशिक्षित अध्यापक हैं, उपरोक्त शासनादेशों के अधीन छूट के लाभ के अधिकारी हैं।

हम पाते हैं कि उपरोक्त विवादक पर अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन स्वीकृति योग्य है। मामले के इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपीलार्थीगण के अभिवचनों के प्रतिकूल है। हम यह भी पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभिन्न निष्कर्षों के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया है।'

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



46. इस न्यायालय की खंडपीठ ने परिपूर्णानंद त्रिपाठी (पूर्वोक्त) के वाद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के राज्य सरकार के दायित्व पर विचार करते हुए आगे अवलोकित किया:-

उत्तर प्रदेश राज्य में, बेसिक शिक्षा प्रदान करने वाली अधिकांश संस्थाएं निजी प्रबंधनों द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत समितियों द्वारा स्थापित की गई हैं। राज्य सरकार ने नीतिगत दिशानिर्देश विरचित किए हैं और सहायता-विहीन संस्थाओं को अनुदान-सहायता प्रदान करने के मानक/मानदंड निर्धारित करते हुए समय-समय पर कार्यपालक आदेश/परिपत्र/प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। जब तक निजी संस्थाओं द्वारा वे शर्तें पूरी नहीं की जातीं, राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व नहीं लेती है।

2009 के अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान (पूर्वोक्त), भारतीय सेवा समाज ट्रस्ट (पूर्वोक्त) एवं उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी एवं अन्य के वादों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, हमारा मत है कि राज्य सरकार संवैधानिक संशोधन एवं इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में अपनी पुरानी नीति का पुनरीक्षण कर सकती है।

निःसंदेह, अब छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। निजी संस्थाएं, जो उक्त आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, वस्तुतः राज्य के दायित्वों का निर्वहन एवं साझाकरण कर रही हैं। अतः राज्य सरकार पर न केवल ऐसी संस्थाओं को अनुदान-सहायता प्रदान करने का, बल्कि अपने द्वारा निर्धारित युक्तियुक्त शर्तों के अध्यधीन आधारभूत संरचना भी उपलब्ध कराने का दायित्व है। छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक मृगतृष्णा बनकर रह जाएगी, जब तक कि उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है।"

उत्तर प्रदेश राज्य में, उक्त आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे समाज के उपेक्षित वर्गों से आते हैं। प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा प्रदान करने वाली अधिकांश संस्थाएं ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित एवं सक्षम अध्यापकों की नियुक्ति की जाए तथा ऐसी संस्थाओं को आवश्यक आधारभूत संरचना भी उपलब्ध कराई जाए। निजी सहायता-विहीन संस्थाओं के अध्यापक दयनीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। कोई भी अच्छा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अध्यापक ऐसी संस्थाओं में कार्य करना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार, छात्र गुणात्मक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

पश्चातवर्ती घटनाओं के दृष्टिगत, हमारा मत है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 29 अगस्त 2014 के आदेश एवं राज्य सरकार के दिनांक 10 जनवरी 2002 के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक है और तदनुसार अपास्त किया जाता है। मामला राज्य सरकार को उपरोक्त उद्धृत विधि के आलोक में पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। राज्य सरकार सहायता-विहीन संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के संबंध में अपनी 1989 की नीति का संवैधानिक संशोधन, 2009 के अधिनियम एवं उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के आलोक में पुनर्विचार कर सकती है।'

47. उपरोक्त दोनों निर्णयों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। तथापि, 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाली सभी मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को अनुदान-सहायता प्रदान करना ऐसी संस्थाओं का मूल अधिकार अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। निजी प्रबंधनों द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज, जो अनुदान-सहायता सूची में लाए गए हैं, उनके अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के लिए पृथक अधिनियम हैं। तथापि, विशेष रूप से कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जिसके अधीन उनके शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन दिया जाना हो। वस्तुतः, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियम, 1975 की धारा 4 के अधीन यह प्रावधान है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पवन कुमार द्विवेदी (पूर्वोक्त) एवं परिपूर्णानंद त्रिपाठी (पूर्वोक्त) के वादों में दिए गए निर्णय केवल उन सहायक अध्यापकों के पक्ष में समर्थन प्रदान करते हैं जो जूनियर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से संलग्न प्राथमिक अनुभागों में कार्यरत हैं, ताकि उन्हें उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1978 अथवा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 की परिधि में लाया जा सके तथा उन्हें क्रमशः उक्त संस्था का अभिन्न अंग घोषित किया जा सके।

बिंदु- (v)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



48. दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के जारी होने के समय विद्यमान संस्थाओं पर उन्हें आवर्ती अनुदान देने के लिए विचार किया जाना चाहिए था। चूंकि महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया 1970 में स्थापित हुई थी और दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश के अधीन पात्र थी, इसलिए राज्य सरकार का दायित्व था कि वह आवर्ती अनुदान के लिए उसकी पात्रता पर विचार करती। उक्त संस्था की प्रबंध समिति के समस्त प्रयासों के बावजूद, राज्य सरकार ने उक्त लाभ नहीं दिया और उक्त शासनादेश को पश्चातवर्ती शासनादेश दिनांक 05.10.2006 द्वारा वापस ले लिया गया। यह विवादित नहीं है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय के अनेक आदेशों के अधीन अपने समक्ष दावा करने वाली विभिन्न ऐसी संस्थाओं के दावे को दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश में निहित शर्तों पर स्वीकार किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश के उस आदेश के अनुपालन में जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित है, राज्य सरकार पहले ही दिनांक 03.01.2024 का शासनादेश जारी कर चुकी है, जिसमें महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया को आवर्ती अनुदान का लाभ दिया गया है।

49. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, उक्त संस्था की आवर्ती अनुदान की अधिकारिता, जो 1997 से विचाराधीन थी और जिसे सैद्धांतिक रूप से शासनादेश दिनांक 03.01.2024 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तथापि, जिला समाज कल्याण अधिकारी की दिनांक 18.08.1998 की आख्या में दर्शाए गए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक अब संस्था में नियोजित नहीं हैं। समस्त याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण पश्चातवर्ती रूप से नियुक्त किए गए हैं, किंतु उनकी नियुक्तियों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज़ नहीं है। मामले की इस स्थिति में, यद्यपि संस्था की आवर्ती अनुदान की अधिकारिता से इनकार नहीं किया जा सकता, तथापि विशेष अपील संख्या 213/2025, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 7/2025 एवं विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 9/2024 के याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण को वेतन भुगतान का निर्देश तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वे यह स्थापित न करें कि उनकी नियुक्तियां 1975 के अधिनियम के अनुसार हुई हैं तथा वे न्यूनतम अर्हता रखते हैं।

अनुतोष

50. महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, जकरिया, रसड़ा, जिला बलिया की आवर्ती अनुदान की अधिकारिता को शासनादेश दिनांक 03.01.2024 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तथापि, संस्था के अध्यापकों एवं अन्य अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए कोई सकारात्मक निर्देश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक अभिलेख पर कोई सामग्री न हो जो यह प्रमाणित करे कि उनकी नियुक्ति विधि के अनुसार हुई है और वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत, विशेष अपील संख्या 213/2025, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 7/2025 एवं विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 9/2024 को राज्य सरकार को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि उक्त विशेष अपीलों के याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण को वेतन केवल तभी दिया जाए जब वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन परिकल्पित 1975 के अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए विधि के अनुसार नियुक्त किए गए हों और अपेक्षित अर्हताएं रखते हों।

51. विशेष अपील संख्या 214/2025 एवं विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 4/2025 में, संस्थाओं को क्रमशः 1987 एवं 1996 में स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी और उन्होंने दिनांक 31.03.1994 के शासनादेश तक कभी भी आवर्ती अनुदान का दावा नहीं किया था तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं को आवर्ती अनुदान प्रदान करने की नीति को शासनादेश दिनांक 05.10.2006 द्वारा वापस ले लिया गया था। जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, कक्षा I से V तक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था, जिसमें 50% से अधिक छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों, आरटीई अधिनियम, 2009 एवं शासनादेश दिनांक 31.03.1994 के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से अनुदान-सहायता का कोई मूल अधिकार अर्जित नहीं करती है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 10.05.2019 का आदेश, जिसमें उक्त अपीलों के याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थीगण के दावों को स्वीकार किया गया था, असंधार्य होने के कारण अपास्त किया जाता है। विशेष अपील संख्या 214/2025 एवं विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 4/2025 तदनुसार अनुज्ञात की जाती हैं तथा रिट-ए संख्या 15455/2019 एवं रिट-ए संख्या 10873/2021 एतद्वारा खारिज की जाती हैं।

(अरुण कुमार, न्यायमूर्ति) (मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति)

जनवरी 05, 2026

अशोक कुमार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"